बिहार–सरकार

कार्यालयः– जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर

<u>निविदा–सूचना</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आपदा (बाढ़/सुखाड़) की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2017–18 में बक्सर जिला अन्तर्गत सभी प्रखण्डों में प्रभावित पशुओं के लिए सुखा चारा यथा गेहूँ का भूसा एवं कुट्टी (पुआल–नेवारी) के दर / आपूर्तिकर्ता के निर्धारण के लिए मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 21वें (इक्कीसवें) दिन अपराहन 05.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त की जाएगी। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को अपराहन 03.00 बजे निविदा खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन उनके उपस्थित नहीं होने पर भी निविदा खोलने का कार्य किया जा सकेगा। सूखा चारा का कय आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। आपुर्ति आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा हीं दिया जाएगा एवं भुगतान भी उन्हीं के स्तर से किया जाएगा।

1. निविदा के साथ रु0 **10000.00** (दस हजार) रुपए मात्र अग्रधन के रूप में कोषागार चालान या पोस्ट ऑफिस सेविंग पास बुक या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से अधिपालित कराकर या बैंक ड्राफ्ट (अधोहस्ताक्षरी के पदनाम के पक्ष में) जमा करना अनिवार्य है।
2. निविदादाता द्वारा आपुर्ति की जाने वाली सूखा चारा का **200** ग्राम नमूना के रूप में (जो पारदर्शी प्लास्टीक के थैले में मुहरबंद हो) निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।
3. निविदा में सूखा चारा यथा गेहूँ का भूसा एवं कुट्टी (पुआल / नेवारी) का प्रति क्विंटल दर (आपुर्ति आदेश में अंकित स्थान तक पहुँचाकर तौलवाकर एवं रखवाकर) अंकित रहना अनिवार्य है। उक्त अंकित दर के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि (परिवहन व्यय इत्यादि) देय नहीं होगा।
4. आपुर्ति की जाने वाली सुखा चारा निविदा के साथ जमा किए गए नमूना के अनुरूप नहीं होने पर आपुर्ति नहीं ली जाएगी।
5. आपुर्ति आदेश निर्गत होने के अगले दिन चारे की आपूर्ति नहीं करने पर आपुर्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
6. अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण तक के लिए प्रभावी मानी जाएगी।
7. आपुर्ति आदेश के अनुसार सूखा चार की आपुर्ति करने की सूचना न्युनतम एक दिन पूर्व देनी होगी।
8. एक से अधिक निविदादाताओं का एक हीं दर स्वीकृत होने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा किसी भी निविदादाता / आपुर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर को बिना कोई कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. निविदा सूचना के लिए वेबसाईट **www.ahd.bih.nic.in** या **www.buxar.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है। विशेष जानकारी कार्यालय अवधि में जिला पशुपालन कार्यालय, बक्सर से प्राप्त की जा सकती है।

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
बक्सर।